छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 217/2006 एवं
अपील प्रकरण क्रमांक 218/2006

श्री आर.एस. चतुर्वेदी,
एच 2/3, विकास नगर कालोनी,
कुददुण्ड, जिला–बिलासपुर
(छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
सहायक आबकारी आयुक्त,
आबकारी आयुक्त कार्यालय
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 23 सितम्बर 2006)

अपीलार्थी श्री आर.एस. चतुर्वेदी निवासी बिलासपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(3) के अंतर्गत अपर आबकारी आयुक्त (अपीलीय अधिकारी) के आदेश दिनांक 27–12–2005 से असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने दिनांक 13–12–2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत सहायक आबकारी आयुक्त, बिलासपुर को आवेदन पत्र देकर श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत नामांकनों की प्रतिलिपि, मृतक के आश्रितों के भरण–पोषण का वचन–पत्र, अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में निर्धारित समीक्षात्मक टिप्पणी, स्व0अनिल चतुर्वेदी के द्वारा श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी का पत्नी होने के संबंध में कोई अभिलेख, श्री सुनील चतुर्वेदी के अभ्यावेदन के संबंध में दिये गये निर्णय की प्रति चाही थी। जन सूचना अधिकारी सहायक आबकारी आयुक्त के द्वारा दिनांक 24–12–2005 को आवेदक को सूचित किया गया कि श्रीमती चतुर्वेदी के द्वारा पेंशन रूल्स, जी0पी0एफ0 रूल्स, एवं जी0आई0एस0 रूल्स के अंतर्गत कोई नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा कोई वचन पत्र भी नहीं भराया गया है। श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी का विवाह संबंधी पत्रिका की प्रतिलिपि तथा श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी के नियुक्ति आदेश एवं राजस्व कमिश्नर, बिलासपुर की आबकारी आयुक्त, ग्वालियर से चर्चा संबंधी टीप की प्रति अपीलार्थी को दी गई। चिकित्सा प्रमाण–पत्र की छायाप्रति भी दी गई। पुलिस जाँच

हेतु भेजे गये परिशिष्ट (अनुप्रमाणन फार्म) की छायाप्रति भी आवेदक को दी गई। जॉच प्रतिवेदन थाने से प्राप्त करने हेतु आवेदक को सूचित किया गया। राजस्व आयुक्त, बिलासपुर के द्वारा आबकारी आयुक्त को भी चर्चा के अनुसार श्रीमती स्नेहलता को स्व0अनिल चतुर्वेदी की वैध पत्नी की हैसियत से औचित्यपूर्ण मानते हुए उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी गई, यह भी सूचित किया गया। चूँकि श्रीमती स्नेहलता मृत शासकीय कर्मचारी की वैध पत्नी मान्य की गई अतः उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार था। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 10–6–1994 की प्रतिलिपि भी अपीलार्थी को दी गई। अपीलार्थी ने इस जानकारी से असंतुष्ट होकर अपर आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की तथा बतलाया कि श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी की सेवाएँ 6–7 वर्ष की हो चुकी है, अतः उनका नामिनेशन क्यों नहीं भराया गया तथा वचन–पत्र भी क्यों नहीं लिया गया यह भी स्पष्ट नहीं किया गया। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आवेदन में चाही गई सहायता अधिनियम में वर्णित नहीं होने के कारण दिया जाना संभव नहीं बतलाया तथा अपीलार्थी की अपील निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ प्रकरण क्रमांक–217 एवं 218 एक ही स्वरुप होने से उन दोनों प्रकरणों पर अपीलार्थी के निवेदन अनुसार एक साथ विचार किया गया। अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा तर्कों को सुना गया। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी की अनुकम्पा नियुक्ति को नियमानुसार नहीं होने का उल्लेख करते हुए उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं मानने का उल्लेख किया। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी से संबंधित अभिलेखों के संबंध में जो अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध थे, वह अपीलार्थी को उपलब्ध करा दिये गये। श्रीमती स्नेहलता ने कोई नामांकन नहीं भरा था, अतः उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। भरण–पोषण का वचन–पत्र श्रीमती चतुर्वेदी ने नहीं भरा था, अतः उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस आधार पर श्रीमती चतुर्वेदी को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई वह भी अपीलार्थी को राजस्व कमिश्नर के नोटशीट तथा नियुक्ति पत्र की प्रतियाँ उपलब्ध कराये गये। यह उल्लेखनीय है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेख/जानकारी देखने के लिए सूचना पत्र दिनांक 2–8–2006 को दी गई थी। किन्तु अपीलार्थी कार्यालय में अभिलेख देखने हेतु उपस्थित नहीं हुए। प्रतिअपीलार्थी ने बहस के समय बतलाया कि अपीलार्थी को सभी कार्यालय में उपलब्ध वांछित सभी अभिलेख/जानकारियाँ दी जा चुकी है। अपीलार्थी ने श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी की अनुकम्पा नियुक्ति को अवैध मानने हेतु उल्लेख किया है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत इस प्रकार की कार्यवाही करने हेतु विचार करने का अधिकार आयोग को नहीं है। प्रतिअपीलार्थी ने यह भी बतलाया कि श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी से नामांकन पत्र लेकर अपीलार्थी को उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करा दी जावेगी।

4/ प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध वांछित दस्तावेजों की प्रति प्रदान कर दी गई है। अपीलार्थी

नियमों की समीक्षा के संबंध में जानकारी चाहता है, उसे संबंधित आदेश की प्रति तथा नोटशीट की प्रति भी प्रदान कर दी गई है। अतः समस्त तथ्यों पर विचार कर आयोग का यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थी को प्रतिअपीलार्थी के द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार 15 दिन के अंदर श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी से नामांकन पत्र लेकर उसकी प्रति उपलब्ध करावें। यदि वचन–पत्र नियमानुसार आवश्यक हो तो वह भी लिया जाकर उसकी प्रति भी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावे। वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी को मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(8)(ख) अंतर्गत आबकारी विभाग के द्वारा अपीलार्थी को 250/– रूपए मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

5/ उपरोक्त आदेशानुसार अभिलेखों की प्रतियाँ अपीलार्थी को प्रदान की जावे। इस निर्देश के साथ अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

6/ प्रकरण क्रमांक–217 एवं 218 समान प्रकृति का होने के कारण आदेश एक साथ पारित किया जा रहा है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त